अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 33)

[13 अगस्त, 2021]

चलचित्र अधिनियम, 1952, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा कतिपय अन्य अधिनियमों का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह 4 अप्रैल, 2021 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अध्यक्ष" के अन्तर्गत किसी अधिकरण का अध्यक्ष, सभापति, प्रधान और पीठासीन अधिकारी भी है;

(ख) "सदस्य" के अन्तर्गत किसी अधिकरण का, उपसभापति, उपाध्यक्ष, उपप्रधान, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य और तकनीकी सदस्य भी है ।";

(ग) "अधिसूचित तारीख" से 4 अप्रैल, 2021 अभिप्रेत है ;

(घ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ङ) "अधिकरण" से पहली अनुसूची के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें

अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति आदि ।

3. (1) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य शर्तों का उपबंध करने के लिए, सुसंगत क्षेत्र में अनुभव, विशेषज्ञता और इस अधिनियम के उपबंधों पर विचार करने के पश्चात्, नियम बना सकेगी :

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जिसने पचास वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

(2) किसी अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा, उपधारा (3) के अधीन गठित खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति में की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, नियमों द्वारा उपबंधित की जाए ।

(3) राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सिवाए, खोज-सह-चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(क) अध्यक्ष, जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्देशित उच्चतम न्यायालय एक न्यायाधीश होगा ;

(ख) दो सदस्य, जो उस सरकार द्वारा नामनिर्देशित भारत सरकार के सचिव हैं ;

(ग) एक सदस्य, जो—

(i) किसी अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की दशा में, उस अधिकरण का पदावरोही अध्यक्ष होगा ; या

(ii) किसी अधिकरण के किसी सदस्य की नियुक्ति की दशा में अधिकरण का आसीन अध्यक्ष होगा ; या

(iii) पुनर्नियुक्ति चाहने वाले अधिकरण के अध्यक्ष की दशा में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत मुख्य न्यायमूर्ति होगा :

परन्तु निम्नलिखित मामलों में, ऐसा सदस्य, सदैव भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होगा, अर्थात् :—

1947 का 14

(i) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण ;

1993 का 51

(ii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के अधीन गठित शोध्य ऋण अधिकरण और शोध्य ऋण अपील अधिकरण ;

(iii) ऐसे अधिकरण, जहां अधिकरण का यथास्थिति, अध्यक्ष या पदावरोही अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है ; और

(iv) ऐसे अन्य अधिकरण जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस अधिकरण की खोज-सह-चयन समिति के अध्यक्ष के परामर्श से अधिसूचित किए जाएं ; और

(घ) उस मंत्रालय या विभाग का, जिसके अधीन अधिकरण का गठन या उसकी स्थापना की गई है, भारत सरकार का सचिव - सदस्य-सचिव :

परन्तु राज्य प्रशासनिक अधिकरण के लिए खोज-सह-चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(क) संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति - अध्यक्ष;

(ख) संबद्ध राज्य सरकार का मुख्य सचिव - सदस्य;

(ग) संबद्ध राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष - सदस्य;

(घ) एक सदस्य, जो—

(i) किसी अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की दशा में, अधिकरण का पदावरोही अध्यक्ष होगा ; या

(ii) किसी अधिकरण के किसी सदस्य की नियुक्ति की दशा में अधिकरण का आसीन सदस्य होगा ; या

(iii) पुनर्नियुक्ति चाहने वाले अधिकरण के अध्यक्ष की दशा में, संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा :

परन्तु ऐसा सदस्य, संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यथास्थिति, यदि राज्य प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष या पदावरोही अध्यक्ष किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश नहीं है;

(ङ) संबद्ध राज्य के साधारण प्रशासनिक विभाग का सचिव या प्रधान सचिव - सदस्य सचिव ।

(4) खोज-सह-चयन समिति के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा ।

(5) खोज-सह-चयन समिति का सदस्य-सचिव कोई मत नहीं डालेगा ।

(6) खोज-सह-चयन समिति, अपनी सिफारिशें करने के लिए अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी ।

(7) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी खोज-सह-चयन समिति, यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के पद की नियुक्ति के लिए दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिश की तारीख से अधिमानतः तीन मास के भीतर समिति की सिफारिशों पर कोई विनिश्चय लेगी ।

(8) कोई नियुक्ति इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि खोज-सह-चयन समिति में कोई रिक्ति या अनुपस्थिति है ।

अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य का हटाया जाना ।

4. केन्द्रीय सरकार, समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा देगी,—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(ग) जो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ; या

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं जिससे उसके सदस्य के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका निरंतर पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल है :

परन्तु जहां किसी अध्यक्ष या सदस्य को खंड (ग) से खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर हटाए जाने का प्रस्ताव है वहां उसे, उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप संसूचित किए जाएंगे और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि ।

5. न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) अधिकरण का अध्यक्ष चार वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ;

(ii) अधिकरण का सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए या सड़सठ वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा :

परन्तु जहां किसी अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति 26 मई, 2017 और अधिसूचित तारीख के बीच की गई है और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी नियुक्ति आदेश मे विनिर्दिष्ट उसकी पदावधि या सेवानिवृत्ति की आयु उससे अधिक है, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट है तो इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि या सेवानिवृत्त होने की आयु या दोनों वह होगी जो पांच वर्ष की अधिकतम पदावधि के अधीन रहते हुए नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट है ।

पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता ।

6. (1) अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे :

परंतु ऐसी नियुक्ति करते समय ऐसे व्यक्तियों द्वारा दी गई सेवा को वरीयता दी जाएगी ।

(2) सभी पुनर्नियुक्तियां उस रीति में की जाएंगी, जो धारा 3 की उपधारा (2) में उपबंधित है ।

वेतन और भत्ते ।

7. (1) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य का वेतन का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी और उन्हें वह भत्ते और फायदे प्रदान किए जाएंगे जो समान वेतन पाने वाले पदधारण करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारी के लिए अनुज्ञेय है :

परंतु यदि किसी अध्यक्ष या सदस्य ने किराए पर घर लिया है, तो उसे उस गृह किराया भत्ते से अधिक गृह किराए का प्रतिदाय किया जाएगा, जो नियम द्वारा यथाउपबंधित ऐसी सीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए समान वेतन पाने वाले केंद्रीय सरकार के समान पद को धारण करने वाले अधिकारियों के लिए अनुज्ञेय है ।

(2) अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के न तो वेतन और भत्तों में और न ही उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात्, अलाभकारी परिवर्तन हो सकेगा ।

अध्याय 3

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का संशोधन

1947 के अधिनियम संख्यांक 14 का संशोधन ।

8. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7घ में, "वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंध द्वारा शासित होंगी" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा शासित होंगी" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

2017 का 7

2021 का 33

अध्याय 4

चलचित्र अधिनियम, 1952 का संशोधन

1952 के अधिनियम संख्यांक 37 का संशोधन ।

9. चलचित्र अधिनियम, 1952 में,—

(क) धारा 2 के खंड (ज) का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 5ग में,—

(i) "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वह आता है "उच्च न्यायालय" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ;

(ग) धारा 5घ और धारा 5घघ का लोप किया जाएगा ;

(घ) धारा 6 में, "या, यथास्थिति, अधिकरण ने विनिश्चय कर दिया है (किन्तु जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे मामले से संबंधित कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जो अधिकरण के समक्ष लंबित है)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(ङ) धारा 7क और धारा 7ग में "अधिकरण" शब्द के स्थान पर जहां-कहीं वह आता है "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(च) धारा 7घ, धारा 7ङ और धारा 7च में "अधिकरण" शब्द का जहां-कहीं वह आता है लोप किया जाएगा;

(छ) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ) और खंड (ट) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 5

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 का संशोधन

1957 के अधिनियम संख्यांक 14 का संशोधन ।

10. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 में,—

(क) धारा 2 में,—

(i) खंड (कक) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (चक) को खंड (चकक) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (चकक) के पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(चक) किसी राज्य के प्रयोजनों के लिए, "वाणिज्यिक न्यायालय" से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 3 के अधीन गठित कोई वाणिज्य न्यायालय या धारा 4 के अधीन गठित कोई उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग अभिप्रेत है ;'; 2016 का 4

(iii) खंड (प) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(प) "विहित" से, —

(i) किसी उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों के संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; और

(ii) अन्य दशाओं में, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है ;';

(ख) धारा 6 में,—

(i) "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "वाणिज्यिक न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "धारा 11 के अधीन गठित अपील बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वाणिज्यिक न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) अध्याय 2 के अध्याय शीर्ष में "और अपील बोर्ड" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(घ) धारा 11 और धारा 12 का लोप किया जाएगा ;

(ङ) धारा 19क, धारा 23, धारा 31, धारा 31क, धारा 31ख, धारा 31ग,

धारा 31घ, धारा 32, धारा 32क और धारा 33क में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर जहां-कहीं वे आते हैं, "वाणिज्यिक न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) धारा 50 में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) धारा 53क में,—

(i) "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं "वाणिज्यिक न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में "और इस निमित्त अपील बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ज) धारा 54 में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "वाणिज्यिक न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) धारा 72 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के आदेशों के विरुद्ध अपीलें ।

"72. (1) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के किसी अंतिम विनिश्चय या आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश या विनिश्चय की तारीख से तीन मास के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा ।

(2) ऐसी प्रत्येक अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा की जाएगी :

परन्तु ऐसा कोई न्यायाधीश, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर उच्च न्यायालय की किसी न्यायपीठ को अपील निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) जहां किसी अपील की सुनवाई किसी एकल न्यायाधीश द्वारा की जाती है, वहां एक और अपील, एकल न्यायाधीश के विनिश्चय या आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर उच्च न्यायालय की किसी न्यायपीठ को की जाएगी ।

(4) इस धारा के अधीन किसी अपील के लिए उपबंधित तीन मास की अवधि की संगणना करने में, ऐसे आदेश या विनिश्चय की, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, प्रमाणित प्रति या अभिलेख देने में लिए गए समय को अपवर्जित किया जाएगा ।";

(ञ) धारा 74 और धारा 75 में "और अपील बोर्ड" शब्दों का जहां-कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा ;

(ट) धारा 77 में, "और अपील बोर्ड का प्रत्येक सदस्य" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ठ) धारा 78 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (गअ) और खंड (गगआ) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (च) में "और अपील बोर्ड" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 6

आय-कर अधिनियम, 1961 का संशोधन

1961 के अधिनियम संख्यांक 43 का संशोधन ।

11. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 252क में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

2017 का 7

2021 का 33

अध्याय 7

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 का संशोधन

1962 के अधिनियम संख्यांक 52 का संशोधन ।

12. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में,—

(क) धारा 28ङ के खंड (खक), खंड (च) और खंड (छ) का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 28ङक के परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(ग) धारा 28च की उपधारा (1) का लोप किया जाएगा;

(घ) धारा 28टक में,—

(i) उपधारा (1) में "अपील प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा;

(ङ) धारा 28ठ में "या अपील प्राधिकरण" शब्दों का जहां-कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा;

(च) धारा 28ड में,—

(i) पार्श्वशीर्ष में "और अपील प्राधिकरण" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ;

(छ) धारा 129 की उपधारा (7) में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात्

2017 का 7

2021 का 33

नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 8

पेटेंन्ट अधिनियम, 1970 का संशोधन

1970 के अधिनियम संख्यांक 39 का संशोधन ।

13. पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में,—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (प) के उपखंड (आ) का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 52 में "अपील बोर्ड या" शब्दों का जहां-कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा;

(ग) धारा 58 में,—

(i) "अपील बोर्ड या" शब्दों का जहां-कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा;

(ii) "यथास्थिति" शब्द का लोप किया जाएगा;

(घ) धारा 59 में "अपील बोर्ड अथवा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ङ) धारा 64 की उपधारा (1) में "अपील बोर्ड द्वारा या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(च) धारा 71 में "अपील बोर्ड" और "बोर्ड" शब्दों के स्थान पर जहां-कहीं वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) धारा 76 में "या अपील बोर्ड" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ज) धारा 113 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(अ) "अपील बोर्ड या" शब्दों का जहां-कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा;

(आ) "यथास्थिति" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (3) में "या अपील बोर्ड" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(झ) अध्याय 19 में अध्याय शीर्ष के स्थान पर "अपील" अध्याय शीर्ष रखा जाएगा;

(ञ) धारा 116 और धारा 117 का लोप किया जाएगा;

(ट) धारा 117क में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर जहां-कहीं वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ठ) धारा 117ख, धारा 117ग और धारा 117घ का लोप किया जाएगा;

(ड) धारा 117ङ में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर जहां-कहीं वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ढ़) धारा 117च, धारा 117छ और धारा 117ज का लोप किया जाएगा;

(ण) धारा 151 में,—

(i) उपधारा (1) में "या अपील बोर्ड" शब्दों का दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (3) में "यथास्थिति, अपील बोर्ड या न्यायालयों" शब्दों के स्थान पर "न्यायालयों" शब्द रखे जाएंगे;

(त) धारा 159 की उपधारा (2) के खंड (xiiक), खंड (xiiख) और खंड (xiiग) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 9

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 का संशोधन

1976 के अधिनियम संख्यांक 13 का संशोधन ।

14. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 12क में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे । 2017 का 7 2021 का 33

अध्याय 10

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 का संशोधन

1985 के अधिनियम संख्यांक 13 का संशोधन ।

15. प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 10ख में "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे । 2017 का 7 2021 का 33

अध्याय 11

रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 का संशोधन

1987 के अधिनियम संख्यांक 54 का संशोधन ।

16. रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 9क में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

2017 का 7

2021 का 33

अध्याय 12

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

1992 के अधिनियम संख्यांक 15 का संशोधन ।

17. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15थक में "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

2017 का 7

2021 का 33

अध्याय 13

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 का संशोधन

1993 के अधिनियम संख्यांक 51 का संशोधन ।

18. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में,—

(क) धारा 6क में "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण

2017 का 7

2021 का 33

के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 15क में "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

2017 का 7

2021 का 33

अध्याय 14

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 का संशोधन

1994 के अधिनियम संख्यांक 55 का संशोधन ।

19. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में,—

(क) धारा 28क के खंड (ङ) का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 28ङ में "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वह आता है "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) धारा 28झ, धारा 28ञ और धारा 28ञक का लोप किया जाएगा;

(घ) धारा 28ट में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(अ) "ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, अधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) परन्तुक में "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) का लोप किया जाएगा;

(ङ) धारा 28ठ का लोप किया जाएगा;

(च) धारा 28ड में "या अधिकरण" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(छ) धारा 28ढ की उपधारा (2) में "अधिकरण" शब्द के स्थान पर "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ज) धारा 33 में "या अधिकरण का अध्यक्ष" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(झ) धारा 41 की उपधारा (2) के खंड (छvi), खंड (छvii), खंड (छviii) और खंड (छix) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 15

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 का संशोधन

1997 के अधिनियम संख्यांक 24 का संशोधन ।

20. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14छक में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

2017 का 7

2021 का 33

अध्याय 16

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 का संशोधन

1999 के अधिनियम संख्यांक 47 का संशोधन ।

21. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 में,—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क), खंड (घ), खंड (च), खंड (ट), खंड (ढ), खंड (यङ) और खंड (यच) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ध) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ध) "विहित" से,—

(i) किसी उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(ii) अन्य दशाओं में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है ;';

(ख) धारा 10 में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 26 में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) धारा 46 की उपधारा (3) में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) धारा 47 में, —

(i) "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) धारा 55 की उपधारा (1) में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) धारा 57 में, —

(i) "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) धारा 71 की उपधारा (3) में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) अध्याय 11 में अध्याय शीर्ष के स्थान पर "अपील" अध्याय शीर्ष रखा जाएगा;

(ञ) धारा 83, धारा 84, धारा 85, धारा 86, धारा 87, धारा 88, धारा 89, धारा 89क और धारा 90 का लोप किया जाएगा;

(ट) धारा 91 में, "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ठ) धारा 92 और धारा 93 का लोप किया जाएगा;

(ड) धारा 94 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

रजिस्ट्रार के समक्ष उपसंजात होने का वर्जन ।

"94. तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य पद धारण नहीं करने पर रजिस्ट्रार के समक्ष उपसंजात नहीं होगे।";

(ढ) धारा 95 और धारा 96 का लोप किया जाएगा;

(ण) धारा 97 में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(त) धारा 98 में "अपील बोर्ड" और बोर्ड शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(थ) धारा 99 और धारा 100 का लोप किया जाएगा;

(द) धारा 113 में, —

(i) "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-कहीं वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ध) धारा 123 में "और अपील बोर्ड का प्रत्येक सदस्य" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(न) धारा 124 में और धारा 125 में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(प) धारा 130 में "अपील बोर्ड या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(फ) धारा 141 में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ब) धारा 144 में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(भ) धारा 157 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (xxxi) और खंड (xxxii) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (xxxiii) में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय 17

माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 का संशोधन

1999 के अधिनियम संख्यांक 48 का संशोधन ।

22. माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 में,—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (त) का लोप किया जाएगा ;

(ख) धारा 19 में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 23 में "में तथा अपील बोर्ड के समक्ष" शब्दों के स्थान पर, "के समक्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) धारा 27 में,—

(i) "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) अध्याय 7 में अध्याय शीर्ष के स्थान पर "अपील" अध्याय शीर्ष रखा जाएगा;

(च) धारा 31 में,—

(i) "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा;

(छ) धारा 32 और धारा 33 का लोप किया जाएगा;

(ज) धारा 34 और धारा 35 में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(झ) धारा 36 का लोप किया जाएगा;

(ञ) धारा 48 में,—

(i) "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ट) धारा 57 और धारा 58 में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ठ) धारा 63 में "अपील बोर्ड या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ड) धारा 72 में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ढ) धारा 75 में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ण) धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (ढ) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 18

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 का संशोधन

2001 के अधिनियम संख्यांक 53 का संशोधन ।

23. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में,—

(क) धारा 2 में, —

(i) खंड (घ), खंड (ढ) और खंड (ण) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(थ) "विहित" से,—

(i) किसी उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों के संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(ii) अन्य दशाओं में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (म) और खंड (य) का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 44 में "या अधिकरण" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) अध्याय 8 के अध्याय शीर्ष के स्थान पर "अपील" शब्द रखा जाएगा;

(घ) धारा 54 और धारा 55 का लोप किया जाएगा;

(ङ) धारा 56 में,—

(i) "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा;

(च) धारा 57 में,—

(i) "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा;

(छ) धारा 58 और धारा 59 का लोप किया जाएगा;

(ज) धारा 89 में "या अधिकरण" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 19

राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 का संशोधन

2003 के अधिनियम संख्यांक 13 का संशोधन ।

24. राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 में,—

(क) धारा 2 में,—

(i) खंड (क) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(घक) "न्यायालय" से किसी जिले की मूल अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अपनी साधारण मूल सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला "उच्च न्यायालय" भी है;';

(iii) खंड (ठ) का लोप किया जाएगा;

(ख) अध्याय 2 के अध्याय शीर्ष में "और अधिकरण की स्थापना, आदि" शब्दों के स्थान पर, "की स्थापना" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 5 का लोप किया जाएगा;

(घ) धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अपील ।

"14 यथास्थिति, राजमार्ग प्रशासन या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 36, धारा 37 और धारा 38 के अधीन पारित आदेशों या की गई किसी कार्रवाई, सूचनाएं जारी करने या उसकी तामील को छोड़कर, कोई अपील न्यायालय में की जाएगी ।";

(ङ) धारा 15 और धारा 16 का लोप किया जाएगा;

(च) धारा 17 में "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वह आता है "न्यायालय" शब्द रखा जाएगा;

(छ) धारा 18 का लोप किया जाएगा;

(ज) धारा 19 में "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वह आता है, "न्यायालय" शब्द रखा जाएगा;

(झ) धारा 40 का लोप किया जाएगा ;

(ञ) धारा 41 में,—

(i) "अथवा अधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपील पर पारित प्रत्येक आदेश या किया गया विनिश्चय" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) "या अधिकरण" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ट) धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (च) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 20

विद्युत अधिनियम, 2003 का संशोधन

2003 के अधिनियम संख्यांक 36 का संशोधन ।

25. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 117क में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे । 2017 का 7 2021 का 33

अध्याय 21

सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 का संशोधन

2007 के अधिनियम संख्यांक 55 का संशोधन ।

26. सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 9क में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे । 2017 का 7 2021 का 33

अध्याय 22

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 का संशोधन

2010 के अधिनियम संख्यांक 19 का संशोधन ।

27. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 10क में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त 2017 का 7 2021 का 33

अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 23

कंपनी अधिनियम, 2013 का संशोधन

2013 के अधिनियम संख्यांक 18 का संशोधन ।

28. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 417क में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

2017 का 7

2021 का 33

अध्याय 24

वित्त अधिनियम, 2017 का संशोधन

2017 के अधिनियम संख्यांक 7 का संशोधन ।

29. वित्त अधिनियम, 2017 में धारा 183 और धारा 184 तथा आठवीं अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 25

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का संशोधन

2019 के अधिनियम संख्यांक 35 का संशोधन ।

30. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 55 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के आरंभ होने के पश्चात् नियुक्त किए गए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाया जाना तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, उक्त अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित होंगी ।"।

2021 का 33

अध्याय 26

प्रकीर्ण

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति ।

31. (1) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उसकी अनुसूची को संशोधित करेगी, तदनुसार, उक्त अनुसूची संशोधित की गई समझी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, किए जाने के पश्चात यथासंभवशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

32. इस भाग के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा तथापि, नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

33. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के अध्यक्ष या सभापति या प्रधान या पीठासीन अधिकारी या उपाध्यक्ष या उपसभापति या उपप्रधान या सदस्य के रूप में नियुक्त और अधिसूचित तारीख के ठीक पहले उस रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अधिसूचित तारीख से ही ऐसे पद को धारण करने से प्रविरत हो जाएगा और उसकी पदावधि या किसी सेवा संविदा के समय पूर्व पर्यवसान के लिए तीन मास से अनधिक का वेतन और भत्ते के प्रतिकर का दावा करने का हकदार होगा ।

(2) अधिसूचित तारीख से पहले प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरणों, अपील अधिकरणों और अन्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अधिसूचित तारीख से ही अपने विद्यमान काडर, मंत्रालय या विभाग को प्रतिवर्तित हो जाएंगे ।

(3) अधिसूचित तारीख से पहले, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरण, अपील अधिकरण या अन्य प्राधिकरणों के समक्ष लंबित कोई अपील, आवेदन या कार्यवाही, उनसे भिन्न, जो आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, उस न्यायालय को अंतरित हो जाएगी, जिसके समक्ष उन्हें इस अधिनियम के अधीन फाइल किया गया होता, यदि वह ऐसी अपील या आवेदन के फाइल किए जाने या कार्यवाही के प्रारंभ किए जाने की तारीख को प्रवर्तन मे होता और न्यायालय ऐसे मामलों में कार्यवाही उसी प्रक्रम से, जिस पर वह ऐसे अंतरण से पहले थी या किसी पूर्वतम प्रक्रम से या नए सिरे से, जैसा न्यायालय ठीक समझे, प्रारंभ कर सकेगा । 1961 का 43

(4) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरण, अपील अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए या अग्रिम रूप में ली गई ऐसी सभी धनराशियों का अतिशेष, जिनका उसने अधिसूचित तारीख के पहले व्यय नहीं किया है, अधिसूचित तारीख से ही केन्द्रीय सरकार को अंतरित हो जाएगी।

(5) अधिसूचित तारीख के पहले दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरण, अपील अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या उनमें निहित किसी भी प्रकार की सभी संपत्ति अधिसूचित तारीख को ही केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो जाएगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

34. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश अधिसूचित तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

2021 का अध्यादेश 2

35. (1) अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 का निरसन किया जाता है ।

1952 का 37
1957 का 14
1962 का 52
1970 का 39
1994 का 55
1999 का 47
1999 का 48
2001 का 53
2003 का 13

(2) ऐसा निरसन होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित, चलचित्र अधिनियम, 1952, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, पेटेंट अधिनियम, 1970, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994, व्यापार-चिह्न अधिनियम, 1999, माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित, उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

पहली अनुसूची

[धारा 2(ङ) देखिए]

क्रम सं॰	अधिकरण/अपील अधिकरण/बोर्ड/प्राधिकारी	अधिनियम
(1)	(2)	(3)
1.	केंद्रीय सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)
2.	आय-कर अपील अधिकरण	आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
3.	सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवाकर अपील अधिकरण	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
4.	अपील अधिकरण	तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13)
5.	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13)
6.	राज्य प्रशासनिक अधिकरण	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13)
7.	रेल दावा अधिकरण	रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987का 54)
8.	प्रतिभूति अपील अधिकरण	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15)
9.	ऋण वसूली अधिकरण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम,1993 (1993 का 51)
10.	ऋण वसूली अपील अधिकरण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम,1993 (1993 का 51)
11.	दूरसंचार विवाद निपटारा और अपील अधिकरण	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24)
12.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)
13.	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35)
14.	विद्युत अपील अधिकरण	विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36)
15.	सशस्त्र बल अधिकरण	सशस्त्र बल अधिनियम, 2007(2007 का 55)
16.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम,2010 (2010 का 19)

दूसरी अनुसूची

(धारा 33 देखिए)

1. चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के अधीन अपील अधिकरण ।

2. आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण ।

3. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) के अधीन विमानपत्तन अपील अधिकरण ।

4. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अधीन बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड ।

5. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) के अधीन पौधा किस्म संरक्षण अपील अधिकरण ।